महत्वपूर्ण / तत्काल

संख्या– G.I-26 / बावन–4–2021–33 / 98

प्रेषक,

शिवाकान्त द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–4 **लखनऊ : दिनांक 26 नवम्बर 2021**

विषय– अल्पसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–429 / बावन–4–98–33 / 98, दिनांक 31.10.1998 द्वारा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर जारी किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये है। तद्क्रम में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने में हो रही कठिनाईयों का निराकरण करने हेतु शासनादेश संख्या–एम0एस0– 41 / 52–4–2017, दिनांक 26.12.2017, शासनादेश संख्या–09 / 2020 / एम0–34 / 52–4–2020, दिनांक 19.11.2020 भी निर्गत किये गये है।

2– उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या–217, दिनांक 27.01.2014 (छायाप्रति संलग्न) के अुनसार छः समुदाय (**मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन**)को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया गया है।

3– अतः उक्त शासनादेश दिनांक 31.10.1998 छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र तत्काल निर्गत किये जाने तथा उसमें आ रही कठिनाईयों का निराकरण करते हुए इसे सरल एवं शीघ्र निर्गमन हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को उनके लिए संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके।

संलग्क–यथोक्त

भवदीय,

(**शिवाकान्त द्विवेदी**)
विशेष सचिव

G.I-26

संख्या– (1) 52–4–2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, श्री राज्य पाल, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4– समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5– निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि अपने स्तर से समस्त संयुक्त निदेशक,उप निदेशक, एवं समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
7– सचिव, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग को इस निर्देश के साथ कि मा0 अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
8– समस्त संयुक्त निदेशक / उप निदेशक / जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10– गार्ड फाइल।

संलग्नक–यथोक्त

आज्ञा से,

(राम भरत) 26/11/2021
अनु सचिव

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 27, 2014/माघ 7, 1935

No. 217] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 27, 2014/MAGHA 7, 1935

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2014

का.आ. 267(अ).—राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 2 खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 816(अ), दिनांक 23-10-1993 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में पहले से ही अधिसूचित अर्थात् मुस्लिमों, ईसाइयों, सिक्खों, बौद्धों और पारसियों के अलावा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करती है ।

[फा. सं. 1-1/2009-एनसीएम]

ललित के. पंवार, सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2014

S.O. 267(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Section 2 of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992), the Central Government hereby notifies the Jain community as a minority community in addition to the five communities already notified as minority communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians (Parsis) *vide* Ministry of Welfare Notification No. S.O. 816(E), dated 23.10.1993 for the purposes of the said Act.

[F. No. 1-1/2009-NCM]

LALIT K. PANWAR, Secy.

संख्या :-429/बाब-4-98-33/98

31.10.98

प्रेषक,

श्री कृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ: दिनांक: 31 अक्टूबर, 1998

संख्यक कल्याण एवं बक्फ अनुभाग-4

विषय:-अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् की अधिसूचना संख्या-2015/चालीस-2-94-1485(1)/91 दिनांक 7 अक्टूबर, 1994 द्वारा चिन्हित अल्पसंख्यकों-मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी को, अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिये संलग्न प्रपत्र में, अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र जारी करने के लिये, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष, जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / तहसीलदार, जिसके क्षेत्र में सम्बन्धित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा जन्मा हो, को अधिकृत करते हैं । यह प्रमाणपत्र किसी अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, जो सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत हो अथवा सम्बन्धित जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है ।

विहित प्रपत्र पर जारी प्रमाणपत्र के आधार पर अनुमन्य लाभों / आरक्षण से, सम्बन्धित अभ्यर्थी को लाभांवित किया जाए ।

शासन के उपरोक्त निर्णयों से सभी सम्बन्धित अधिकारियों को, कृपया अवगत कराना सुनिश्चित करें, ताकि सम्बन्धित अल्पसंख्यकों को इस सम्बन्ध में कोई असुविधा न हो ।

संलग्नक- उपर्युक्त

भवदीय,
ह/- 29/10
(श्री कृष्ण)
सचिव ।

अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र प्रारूप

फोटो

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु0.....

पुत्र / पुत्री / पत्नी .....निवासी.....

ग्राम / मोहल्ला / मकान / नं0.....पोस्ट.....

तहसील / थाना / नगर.....जनपद..... उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी / निवासिनी है। तथा राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–2015 / चालीस–2–94–14(5) / 91,दिनांक 07 अक्टूबर 1994, अनुसार ..... अल्पसंख्यक समुदाय के / की है।

श्री / श्रीमती / कु0..... सामान्यतयः उत्तर प्रदेश में निवास करते / करती हैं।

स्थान–

दिनांक–

मुहर–

हस्ताक्षर–

पूरा नाम–

पदनाम–

(शासनादेश संख्या–429 / बावन–4–98–33 / 98, दिनांक 31, अक्टूबर, 1998 में इंगित सक्षम अधिकारियों में से एक)